पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं-13210

में

2022 का लेटर्स पेटेंट अपील सं.-633

==========

रेणु सिन्हा, पति- स्वर्गीय निरंजन सिंह, निवासी-गांव- खरोज, डाकघर-बेडोली, थाना- भगवानगंज, जिला- पटना।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. आयुक्त, पटना प्रभाग, पटना।
4. जिलाधिकारी, पटना।
5. उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रभाग, पटना।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, पटना।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मसौढ़ी, जिला- पटना।
8. पुष्पलता कुमारी, पत्नी ओम प्रकाश राय, निवासी- गांव- खरोज, डाकघर- बेडोली, थाना- भगवानगंज, जिला-पटना।

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री सूरज नारायण यादव,

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जी. ए.-7

उत्तरदाता संख्या 8 के लिए : श्री अभय शंकर सिंह, अधिवक्ता

श्री अमित कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

==========

आंगनवाड़ी सेविका/साहिका – खंड 4.9 – दिशानिर्देश – चयन/नियुक्ति – विद्वान एक न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक पद के रोजगार के मौलिक अधिकार को किसी खंड के लागू कर देने से राज्य प्राधिकारी को, प्रतिबंधित करने का, केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती, जिनके परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार या राज्य के किसी संगठन में हो – इस प्रकार के विवादित खंड को भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है – विद्वान एकल न्यायाधीश में खंड को निरस्त कर के अपीलार्थी की नियुक्ति अपास्त कर दी और प्रत्यर्थी की नियुक्ति का आदेश दिया – वैकल्पिक उपचार चार आकस्मिकताओं में अवरोधक के रूप में कार्य नहीं करेगा – (1) जहाँ किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है, (2) जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का उल्लंघन हुआ है, (3) जहाँ कार्यवाही का आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, (4) किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी गई है – भारत का संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और किसी अन्य कानून द्वारा सीमित नहीं है – प्रत्यार्थी को दिशानिर्देश, 2011 के खंड 4.9 के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण हटा दिया गया था – राज्य की प्रत्येक कार्रवाई या उसकी साधनता न्यायिक जाँच के अधीन है जिसका संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर परीक्षण किया जाना आवश्यक है – अपील खारिज

(पारा 10,11,14,15)

(1998) 8 एस.सी.सी 1 – *निर्भर किया गया*

सी.डब्लयू.जे.सी नंबर 22513/2013 – सुभिन्न

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः-माननीय मुख्य न्यायधीश

एवं

(माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

दिनांक : 23-04-2024

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज नारायण यादव और प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभय शंकर सिंह को सुना गया।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जीए-7 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

2. वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती इस न्यायालय के दिनांक 27.09.2022 के आदेश/निर्णय को लेकर है, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13210/2014 में पारित किया गया था, जिसके तहत विद्वान न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करने और दिनांक 19.12.2013 के संशोधित दिशा-निर्देशों के खंड 4.9 को रद्द करने की कृपा की है। विद्वान न्यायालय ने यहां रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया, जो कि अंगबारी सेविका का पद संभाल रही थी और यहां निजी प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में नियुक्ति का आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोपित आदेश/फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के खंड 4.9 के संशोधित प्रावधान को रद्द करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि रिट याचिका 2011 के दिशा-निर्देशों के नियम 10 में निर्धारित प्रावधानों की अनदेखी करके दायर की गई थी, जिसमें निर्धारित किया गया था कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन के खिलाफ कोई भी शिकायत जिला कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्तियों के पास कल्याण विभाग के उप निदेशक के समक्ष अपील करने का उपाय था। हालांकि, प्रभावी वैकल्पिक उपाय होने के बावजूद, विद्वान न्यायालय ने मामले को उपयुक्त प्राधिकारी को सौंपने के बजाय मामले का न्यायनिर्णयन किया और आरोपित आदेश पारित कर दिया।

अपीलकर्ता का यह भी तर्क था कि रिट याचिकाकर्ता, संयुक्त परिवार की सदस्य और अपने पति के बड़े भाई के साथ-साथ उनकी पत्नी भी उसी जिले में केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, इसलिए उनका चयन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है। बेहतर योग्यता को प्राथमिकता देना आंगनबाड़ी सेविका के चयन की अंतिम और पूर्ण आवश्यकता है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी सेविका का पद सरकार के अधीन कोई सार्वजनिक पद नहीं है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित नहीं है; यह भी अपीलकर्ता का तर्क था।

4. प्रतिवादी संख्या 8 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अभय शंकर सिंह ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 8 आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों में से एक है,

जिसने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार अन्य लोगों के साथ आवेदन किया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार योग्यता और अन्य आवश्यकताओं पर विचार करते हुए रोजगार इकाई ने रिट याचिकाकर्ता को सबसे योग्य पाया और इस प्रकार उसे अंतिम मेरिट सूची में क्रम संख्या 1 पर रखा गया। निजी प्रतिवादी संख्या 8-अपीलकर्ता को क्रम संख्या 2 पर रखा गया। मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता को बाल विकास परियोजना अधिकारी, मसौढ़ी, पटना द्वारा 2011 के दिशा-निर्देशों के खंड 4.9 के अनुसार, जो 19.12.2013 से प्रभावी हुआ, विचार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। 2011 के दिशा-निर्देशों के खंड 4.9 की अंग्रेजी अनुवादित प्रति नीचे उद्धृत है:

> *"4.9 संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्धसरकारी पुरुष कर्मी की पत्नी/बहू/अन्य रिश्तेदार का चयन सेविका/सहायिका के पद पर नहीं किया जाएगा। (रिश्तेदार का अर्थ है- माता (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री/भाभी (अर्थात बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन)। इसके साथ ही सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्धसरकारी महिला कर्मी/पदाधिकारी की स्थिति में पत्नी, पुत्रवधू, पति के अपने भाई की पुत्री एवं भाभी (पति की बहन) सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होंगी। "*

5. चयन समिति के निर्णय से व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ता ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 13210/2014 दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि संशोधित दिशा-निर्देश 2011 के तहत आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन के लिए रिश्तेदार के किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में न होने पर प्रतिबंध लगाना एक ऐसी कवायद थी, जो अन्यायपूर्ण, अनुचित, अनुचित और मनमाना था। पूर्वोक्त प्रतिबंध का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोई संबंध नहीं था। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में चयन के उद्देश्य से किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार को विचार के क्षेत्र से प्रतिबंधित करने का मुद्दा पहले भी इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था। पहले के सरकारी दिशा-निर्देश, 2006 के तहत भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें खंड 3(ङ) के तहत प्रतिबंध लगाया गया था और इस न्यायालय ने उक्त प्रतिबंध को अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमाना माना और इस तरह दिशा-निर्देश, 2006 के उक्त खंड 3(ङ) को रद्द कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि इस न्यायालय की खंडपीठ ने एलपीए संख्या 1439/2010 में की है।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऊपर उल्लिखित रिट याचिकाकर्ता के तर्क पर विचार करते हुए पाया है कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए दिशा-निर्देशों के खंड 4.9 में केवल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, जिनके परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार या राज्य के किसी संगठन में नियुक्ति हासिल नहीं की है, जो टिकने योग्य नहीं है। विद्वान न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक पद के विरुद्ध रोजगार के मौलिक अधिकार को इस तरह से नहीं छीना जा सकता है और इस प्रकार आरोपित खंड को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन पाया। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्वोक्त खंड को खारिज करने के बाद प्रतिवादी संख्या-8 अपीलकर्ता की नियुक्ति को योग्यता के अभाव में रद्द करने के बाद रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति के लिए आदेश जारी करने का सही निर्देश दिया है।

7. इसी प्रकार का मुद्दा, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17585/2015 से उत्पन्न होकर एलपीए संख्या 1853/2016 को जन्म देने के कारण भी सिविल अपील संख्या 208/2024 (अंजुम आरा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसकी रिपोर्ट (2024) 4 एससीसी 246 में दी गई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीडब्लूजेसी संख्या 13210/2014 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसे यहां आरोपित किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के निर्णय और आदेश को अलग कर दिया है, जिसके तहत आवेदक के दावे को दिशानिर्देश, 2011 के खंड 4.9 के संदर्भ में नकार दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि अपीलकर्ता के लिए आंगनवाड़ी सेविका दिशानिर्देश, 2011 के खंड 4.9 की वैधता को चुनौती देना आवश्यक नहीं था उसी उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही अवैध ठहराया जा चुका है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय का हवाला देते हुए, निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वस्तुतः यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही पुष्टि कर दिया गया है और इस प्रकार इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. इस समय, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 22513/2013 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर भरोसा किया कि आंगनबाड़ी केंद्र चलाने का उद्देश्य उम्मीदवार की योग्यता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले

और वंचित तबके के बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। आंगनबाड़ी सेविका कोई सिविल पद नहीं है और न ही वह सरकारी सेवा में लगी हुई है और न ही सरकारी सेवा में कोई पद धारण कर रही है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।

10. हमने संबंधित पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया है। जहां तक वैकल्पिक उपाय के संबंध में अपीलकर्ता की दलील का सवाल है, उसमें कोई दम नहीं है और उसे खारिज किया जाना चाहिए। वैकल्पिक उपाय जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही इस न्यायालय द्वारा लगातार माना जाता रहा है, कम से कम चार परिस्थितियों में बाधा के रूप में काम नहीं करेगा, अर्थात्, जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए दायर की गई हो या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो या जहां कार्यवाही का आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी गई हो। रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेक मामले के तथ्यों के आधार पर स्व-लगाए गए प्रतिबंध द्वारा निर्देशित होना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति प्रकृति में पूर्ण है और किसी अन्य कानून द्वारा सीमित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स, मुंबई और अन्य [(1998) 8 एससीसी 1]*** के मामले में पैराग्राफ संख्या 20 में विभिन्न अन्य निर्णयों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> "20. *तब से बहुत पानी बह चुका है, लेकिन इन निर्णयों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा है, जो पुराने होने के बावजूद अभी भी प्रभावी हैं, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून, वैकल्पिक वैधानिक उपायों के बावजूद, प्रभावित नहीं हुआ है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां जिस प्राधिकारी के खिलाफ रिट दायर की गई है, उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या उसने बिना किसी कानूनी आधार के अधिकार क्षेत्र को हड़पने का दावा किया था। "*

11. अब अन्य मुद्दों पर आते हैं, बेशक उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले रिट याचिकाकर्ता को मेरिट सूची में क्रम संख्या 1 पर रखा गया था जबकि अपीलकर्ता को क्रम संख्या 2 पर रखा गया था। रिट याचिकाकर्ता को दिशा-निर्देश, 2011 के खंड 4.9 के तहत दिए गए प्रतिबंध के कारण बाहर कर दिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि यदि भाई के पति की पत्नी उसी जिले में सरकारी नौकरी में है तो उन आवेदकों का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयन

वर्जित है। इस न्यायालय की राय में, केवल इसलिए एक योग्य उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोकना कि वह उम्मीदवार किसी सरकारी/लोक सेवक का रिश्तेदार है जो चयन इकाई का सदस्य या हिस्सा भी नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के साथ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है।

12. किसी व्यक्ति को समान अवसर से वंचित करना, जिसका उद्देश्य प्राप्त करने से कोई संबंध नहीं है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत है, कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर चयन/नियुक्ति केवल उचित विज्ञापन के बाद और विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आपसी योग्यता का आकलन करने के बाद योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के बाद ही की जा सकती है। सेवा न्यायशास्त्र से अलग किसी *आधार पर* किसी उम्मीदवार की योग्यता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए किया गया कोई भी चयन मान्य नहीं है और इस प्रकार हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय/आदेश में कोई कमी नहीं दिखती।

13. जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 22513/2013 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करने का सवाल है, वह वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रश्न कुछ अनियमितताओं के कारण आंगनबाड़ी सेविका की सेवा समाप्ति से संबंधित था, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह पाते हुए सेवा समाप्ति आदेश की पुष्टि की थी कि याचिकाकर्ता ने दिशानिर्देशों के अनुसार काम नहीं किया है और निरीक्षण के समय कई अनियमितताएं पाई गई हैं। विद्वान न्यायालय ने माना कि आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाने की भावना और उद्देश्य को कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि इसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले और वंचित तबके के बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उक्त योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

14. यह ध्यान देने योग्य होगा कि राज्य या उसके साधनों की हर कार्रवाई न्यायिक जांच के अधीन है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जाना आवश्यक है। कोई भी निर्देश या दिशानिर्देश, जो पात्रता और चयन प्रक्रिया को संवैधानिक प्रावधानों से अलग करता है, उसे खारिज किया जाना चाहिए। इस मामले में विवादित प्रतिबंध को सही तरीके से खारिज किया गया है, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत "सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता" के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।

15. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय को वर्तमान एल.पी.ए में कोई योग्यता नहीं दिखती है, तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

उदय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।